International Journal of Geography, Geology and Environment

P-ISSN: 2706-7483
E-ISSN: 2706-7491
IJGGE 2020; 2(2): 48-51
Received: 22-05-2020
Accepted: 25-08-2020

देवेन्द्र प्रसाद
पी0 एच डी0 शोधार्थी के. आर. (पी.जी.) कॉलेज, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत ।

मथुरा जनपद में प्रधानमंत्री रोजगार योजना का संकल्पनात्मक स्वरूप तथा क्रियात्मक विवेचन

देवेन्द्र प्रसाद

सारांश

भारत प्राचीन काल से ही ग्रामीण बाहुल्य परिवेश एवं कृषि प्रधान व्यवस्था वाला देश है। जहाँ शहरीकरण में हो रही वृद्धि के बाबजूद भारतवर्ष की कुल 1,21,01,93,422 करोड़ (2011 की जनगणना के अनुसार) जनसंख्या में 68.84 प्रतिशत (833087662 करोड़) आज भी गॉवों में रहती है। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारी को स्वनियोजन उपलब्ध कराने के लिये प्रधानमंत्री रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1993 को प्रारम्भ की गई। इस योजना के तहत बेरोजगारी युवक/युवतियों को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराकर स्वनियोजन का अवसर उपलब्ध कराया जा सकता है।

प्रस्तावना

प्रधानमंत्री रोजगार योजना कार्यक्रम को देश की आजादी के पश्चात् सरकार द्वारा किये जाने वाला एक एतिहासिक और क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है। इस योजना का बनना उन करोड़ों लोगों के लिये वरदान साबित हो रहा है, जो रोजगार की तलाश में इधर से उधर पलायन कर रहे हैं। गरीबी रूपी अभिषाप से मुक्ति मिलने के मार्ग को तलाश करते हुए व्यक्तियों के लिये प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 को प्रारम्भ किया गया।

यह निर्विवाद रूप से सर्व स्वीकार्य तथ्य है कि स्वरोजगारों की स्थापना में शासकीय संस्थाओं की भूमिका में महत्वपूर्ण बेरोजगारी उन्मूलन के लिये निर्मित प्रधानमंत्री रोजगार योजना के सफल क्रियान्वयन में यहॉ दो संस्थाऐं जिला उद्योग केन्द्र (जहॉ रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जाते हैं) तथा राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकें (जहॉ से वित्त प्रदान किये जाते हैं) अहम भूमिकाऐं निभाती है वहीं साथ ही साथ सहायक भूमिका के रूप में उद्योग निदेशालय कानपुर (जहाँ योजना के लाभान्वितों की प्रगति आख्याऐं प्रेषित की जाती हैं) सहायतार्थ कार्य करता है। इसलिये इसकी भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में लाभान्वितों को 'जिला उद्योग केन्द्र' प्रायः अद्यतन प्रीाावी निर्देशिका के परिनियमों के अनुसार अभ्यर्थियों के चयन में उद्योग सेवा तथा व्यवसाय हेतु आवेदन पत्रों को स्वीकृति करते हैं। जिसमें आरक्षण का भी ध्यान पूर्णतः रखते हैं। स्वीकृत योजनाओं की कम से कम 30 प्रतिशत योजनाओं की सीटें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित बेरोजगार युवकों के वर्गीकरण के अनुसार उद्योग सेवा एवं व्यवसाय में पृथक–पृथक स्तरों पर 30 प्रतिशत अंश इस अनारक्षित वर्ग के लिये आरक्षित एवं सुरक्षित रहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इन उद्योगों में आरक्षितों की प्रतिशतता भिन्न–भिन्न हो सकती है, लेकिन कम से कम 30 प्रतिशत आरक्षण अवश्य सुनिश्चित करते हैं। जो शिक्षित बेरोजगार युवाओं के विकास के लिये सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम है।

अध्ययन का उद्देश्य–

1. जनपद मथुरा में स्थायी गरीबों को जन्म देने वाले सूखा, बाढ़, वन विनाश, मृदाक्षरण आदि स्थितियों में निपटना तथा गरीबी निवारण एवं शिक्षित बेरोजगार युवाओं के रोजगार सृजन में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की भूमिका का विश्लेषण
2. प्रधानमंत्री रोजगार योजना से उत्पादक संपदाओं का निर्माण करने पर्यावरण की रक्षा करने, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सशक्तिकरण, ग्राम से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश लगाने और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

Corresponding Author:
देवेन्द्र प्रसाद
पी0 एच डी0 शोधार्थी के. आर. (पी.जी.) कॉलेज, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत ।

विधि तंत्र –

प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आंकड़ों का संकलन विभिन्न श्रोतों से करने का प्रयास किया गया है। आंकड़ों का संकलन प्राथमिक द्वितीयक व साक्षात्कार के माध्यम से किया गया है। द्वितीय आंकड़े ब्लॉक स्तर पर किये गये हैं। प्राथमिक आंकड़ों का संकलन प्रश्नावली तथा साक्षात्कार विधि से किया गया है।

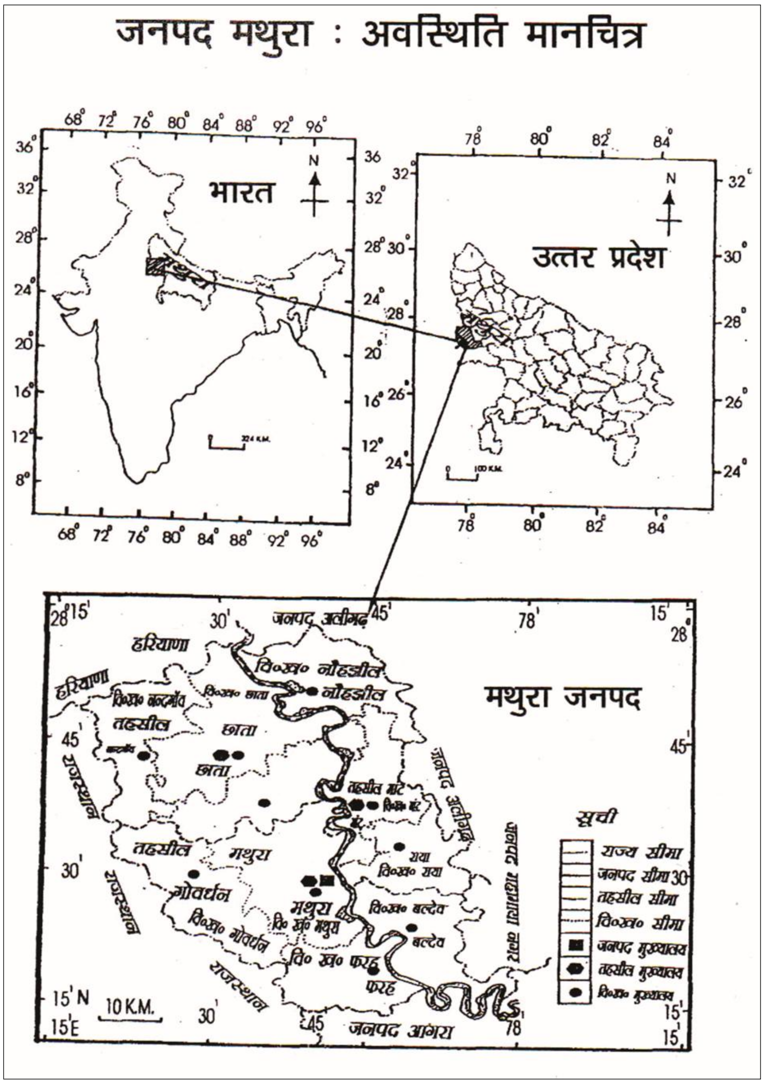

अध्ययन क्षेत्र –

मथुरा तहसील में 10 विकास खण्ड तथा 89 न्याय पंचायत एसं 479 ग्राम समाये हैं। 887 ग्रामों की संख्या है। जनपद मथुरा वह पावन स्थली है जहां कर्मयोगी भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। मथुरा जनपद उ0प्र0 की पश्चिमी सीमा पर यमुना नदी के तटीय भाग में स्थित है। इसके पूर्व में जनपद महामाया नगर, उत्तर में अलीगढ़ जनपद, द0पू0 में जनपद आगरा, द0प0 में राजस्थान प0उ0 में हरियाणा जनपद का अशासीय विस्तार 27014′ तथा 27057′ एवं देशान्तरीय विस्तार 77017′ से 78012′ के मध्य स्थित है। जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 38.11 वर्ग किमी0 है। कुल जनसंख्या 1931186 है।

व्याख्या –

योजना का संकल्पनात्मक स्वरूप यह है कि शिक्षित बेरोजगारी को स्वतः रोजगार की व्यवस्था शिक्षित बेरोजगारी हेतु स्वतः रोजगार योजना को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1997 तक कुल 101812 लोगों को ऋण की सुविधा दी गई। वर्ष 1998–98 तथा 2.20 लाख लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित करने का उद्देश्य है।

चूंकि प्रस्तुत अनुभविक अध्ययन शिक्षित बेरोजगारी उन्मूलन तथा शिक्षित बेरोजगारी की सामाजिक आर्थिक दशाओं पर 'प्रधानमंत्री रोजगार योजना की भूमिकाiiiii' राष्ट्रीयकृत व्यवसायिक बैंक तथा जिला उद्योग केन्द्र की भूमिका पर आधारित है क्योंकि प्रार्थना पत्रों के प्रेषण, लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया तथा लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करना जिला उद्योग केन्द्रों का ही दायित्व होता है। निःसंदेह किसी भी जनहित कार्यक्रम में प्रगति, उसकी लोकप्रियता पर आधारित होती है। लोकप्रियता का मुख्य आधार उस कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन की सार्थकता पर आधारित होता है। इस सार्थकता का आरम्भिक स्तर पर मूल्यांकन करना, कार्यक्रम के लिये चयनित समग्र की सार्थकता पर आश्रित होता है। अतः प्रधानमंत्री रोजगार योजना के संकल्पनात्मक स्वरूप तथा क्रियात्मकता के अन्तर्गत इस कार्यक्रम की सार्थकता का मापन, योजना के निमित्त (1) प्रार्थना पत्रों के प्रेषण, (2) चयन विधि एवं चयन प्रक्रिया परिशुद्धता, (3) लाभार्थियों के चयन, शीर्षकों पर आधारित किया गया है।

प्रार्थना पत्रों का प्रेषण –

सर्वप्रथम योजना से लाभ लेने के इच्छुक शिक्षित बेरोजगार अपने–अपने आवेदन पत्र प्रेषित करते हैं। इसके पश्चात् लाभार्थियों के चयन की समस्या आती है। निम्न तालिका से योजना से लाभ लेने के अपेक्षाधारी अभ्यर्थियों (चयनित) अर्थात् अभ्यर्थियों की जाति पर अनुपातिकता पर संक्षिप्त प्रकाश

डालती है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत आवेदकों के अभ्यर्थन एवं चयन की आनुपातिकता

क्रमांक	अभ्यर्थियों की जाति/वर्ग	कुल आवेदक (संख्या/प्रतिशत)	कुल चयनित अभ्यर्थी (संख्या/प्रतिशत)	कुल अचयनित अभ्यर्थी (संख्या/प्रतिशत)
1	अनुसूचित जाति	115(100.00) (33.43)	94(81.73) (31.73)	21(18.27) (47.72)
2	पिछड़ी जाति	106(100.00) (30.21)	94(88.63) (31.33)	12(11.32) (72.28)
3	स्वर्ण जाति	98(100.00) (28.48)	94(95.91) (31.33)	4(4.09) (9.10)
4	मुस्लिम जाति	25(100.00) (7.26)	18(72.00) (6.00)	7(28.00) (15.10)
5	कुल योग (प्रतिशत)	344(100.00) (100.00)	300(87.20) (100.00)	44(12.80) (100.00)

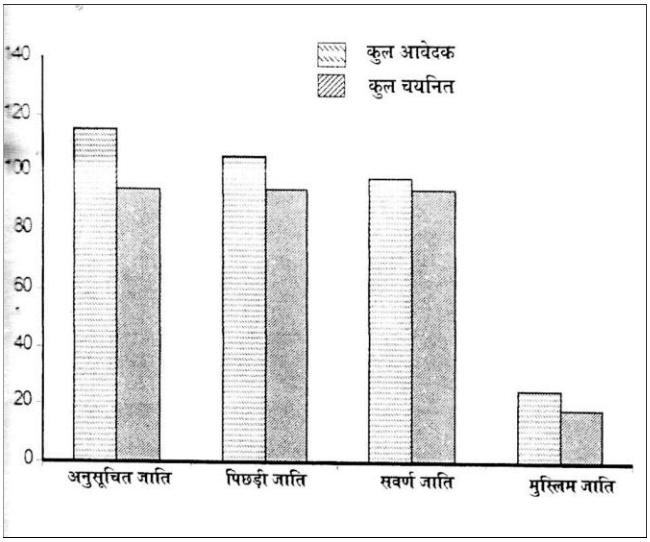

आवेदकों के अभ्यर्थन एवं चयन की आनुपातिकता

उपरोक्त प्रस्तुत प्रसंगाधीन तालिका के द्वैतीयक आंकड़ों के विश्लेषण तथा विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत कुल 1600 आवेदक थे जिनमें 208 अनुसूचित जाति, 405 पिछड़ी जाति व 9187 सवर्ण जाति के थे इनमें से जनपद के सभी 10 विकास खण्ड कार्यालयों से (प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र पर आवेदनों की मांग के आधार) कुल 1255 आवेदक पत्र अपूर्ण होने की बजह से निरस्त कर मात्र 344 आवेदन पत्र जिला उद्योग केन्द्र, मथुरा को प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत लाभान्वित करने के विचारार्थ प्रेषित किये गये। इन प्राप्त 344 आवेदकों के अभ्यर्थनकर्ताओं में 115 (33.43 प्रतिशत) अनुसूचित जाति, 106 (30.81 प्रतिशत) पिछड़ी जाति, 98 (28.48 प्रतिशत), सामान्य जाति तथा 25 (7.26 प्रतिशत) मुस्लिम वर्ग के अभ्यर्थी पाये। इनमें से 300 (87.20 प्रतिशत) अभ्यर्थियों का चयन अध्ययन के लिये किया गया है एवं कुल 44 (12.80 प्रतिशत) अभ्यर्थी अचयनित रहे हैं। अचयनित होने का कारण अपूर्ण आवेदन–पत्र, आवेदन पत्रों में गलत तथा अपूर्ण सूचनाऐं देना आदि पाये गये हैं। जातिगत आधार पर अनुसूचित जाति के 31.33 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के 31.34 प्रतिशत, सामान्य जाति के 31.33 प्रतिशत तथा मुस्लिम वर्ग के 6.00 प्रतिशत अभ्यर्थी चयनित (लाभान्वित) हुए हैं। अचयनित अभ्यर्थियों पर विचार करने पर हम पाते हैं कि अचयनित अभ्यर्थियों में अनुसूचित जाति के 21 (47.72 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के 12 (27.28 प्रतिशत), सामान्ज जाति के 4 (9.10 प्रतिशत) तथा 7 (15.10 प्रतिशत) आवेदनकर्ता मुस्लिम थे। चयनित तथा अचयनित आवेदकों का जातीय आधार पर सूक्षमतः विश्लेषणात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जातियों के कुल 115 आवेदक थे जिनमें से 94 आवेदकों का चयन किया गया। पिछड़ी जातियों के कुल 106 आवेदक थे, जिनमें से 94 आवेदकों का चयन किया गया एवं सामान्य जातियों के कुल 99 आवेदक थे जिनमें से 94 आवेदकों का चयन किया गया तथा मुस्लिम वर्ग के कुल 25 आवेदक थे जिनमें से 18 आवेदकों का चयन किया गया।

चयन प्रक्रिया –

किसी भी शोध अध्ययन में (विशेषकर विकास योजना सम्बन्ध अध्ययनों में) अभ्यर्थियों का उचित चयन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अभ्यर्थियों की चयन विधि का योजना की सफलता से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है, क्योंकि यदि समग्र में दोषपूर्ण रीति से अभ्यर्थियों का चयन हो जाये तो सम्पूर्ण योजना में कमी (दोष) आ जायेगी। अतः चयन विधि की प्रभावशीलता के दृष्टिकोण से भी प्रधानमंत्री रोजगार योजना का मूल्यांकन किया गया है। अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया तथा लाभार्थियों के चयन पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है।

तालिका – अभ्यर्थियों की चयन की प्रक्रिया

क्रमांक	अभ्यर्थी	न्यादर्श विधि (स्तरित दैव	संगणना विधि	कुल चयनित
1	अनुसूचित जाति	90(95.74) (32.02)	4(4.25) (21.05)	94(100.00) (31.34)
2	पिछड़ी जाति	88(93.61) (31.31)	6(6.39) (31.58)	94(100.00) (1.3)
3	स्वर्ण जाति	89(94.69) (31.68)	5(5.31) (26.31)	94(100.00) (31.33)
4	मुस्लिम जाति	14(77.78) (4.99)	4(22.22) (21.05)	18(100.00) (31.33)
5	कुल योग (प्रतिशत)	281(93.67) (100.00)	19(6.33) (100.00)	300(100.00) (100.00)

उपरोक्त तालिका के प्राथमिक ऑकड़ों के विश्लेषण तथा विवेचन से स्पष्ट होता है कि 281 लाभार्थियों का चयन 'स्तरित दैव निदर्शन विधि' से किया गया। इस विधि में समग्र से निदर्श का चयन किया जाता है, लेकिन यह विधि लाटरी पद्धति पर आधारित है। इस विधि द्वारा चयनित लाभान्वितों में से अनुसूचित जातियों के (34.86 प्रतिशत), पिछड़ी जाति के 88 (31.31 प्रतिशत), सामान्य/सवर्ण जाति के 69 (31.68 प्रतिशत) तथा 14 (4.99 प्रति सत) मुस्लिम वर्ग से चुने गये हैं। ''संगणना विधि से कुल 19 अभ्यर्थियों को चुना गया है। इस चयन विधि में समग्र की सभी इकाईयों को चयनित कर

लिया जाता है। यह तकनीकी प्रशिक्षण पर आधारित है। इस विधि द्वारा चयनित अभ्यर्थियों में अनुसूचित जातियों के 4 (21.05 प्रतिशत) पिछड़ी जातियों के 6 (31.68 प्रतिशत), सामान्य/सवर्ण जातियों के 5 (26.31 प्रतिशत) तथा 4 (21.05 प्रतिशत) मुस्लिम अभ्यर्थियों को चुना गया है। इस प्रकार जातिपरक चयन से विदित हुआ है कि अनुसूचित जातियों के 94 अभ्यर्थियों में से 90 (95.74 प्रतिशत), पिछड़ी जातियों के 94 अभ्यर्थियों में से 88 (93.61 प्रतिशत), सामान्य जातियों के 94 अभ्यर्थियों में से 89 (94.69 प्रतिशत) लाभार्थी चुने गये हैं। अन्य शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि लाभार्थियों में 95.74 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के (सर्वाधिक) आवेदकों का चयन स्तुरित दैव विधि से हुआ है।

आवेदकों को चयन प्रक्रिया का ज्ञान :

किसी भी योजना से लाभ के लिये अभ्यर्थियों को उस योजना की चयन प्रक्रिया का पूरा ज्ञान होना आवश्यक होता है क्योंकि यदि प्रभावित समग्र को योजना की चयन विधि की यदि ज्ञान (जानकारी) नहीं है तो निश्चित ही योजना की सार्थकता सिद्ध नहीं होगी और वे लाभान्वित न हो सकेंगे। अनुसंधान के दौरान सर्वेक्षण करते समय सबसे पहले यह सूचना प्राप्त करना आवश्यक प्रतीत हुआ कि शिक्षित बेरोजगार युवकों (जिन्हें योजनान्तर्गत चुना गया है) को योजना के चयन विधान अथवा चयन प्रक्रिया का ज्ञान है अथवा नहीं, जो इस योजना के लिये एक मूल्यांकन का उद्देश्य (दृष्टिकोण सिद्ध हुआ) सर्वेक्षण काल में इस संदर्भ में सभी 300 उत्तरदाताओं से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है–

1. चयन प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान कितने आवेदकों को था या कितने को नहीं
2. प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नियमों तथा शर्तों की पूरी जानकारी कितने आवेदकों को थी, तथा कितने को नहीं।

अभ्यर्थियों/लाभार्थियों का प्रधानमंत्री रोजगार योजना की चयन प्रक्रिया से परिचय (ज्ञान)

क्रमांक	आवेदकों की जाति	आवेदकों की संख्या/प्रतिशत (चयन प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान)			आवेदकों की संख्या/प्रतिशत (चयन प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान)		
		हाँ	नहीं	कुल योग	हाँ	नहीं	कुल योग
1	अनुसूचित जाति	66(70.21) (31.43)	28(29.78) (31.11)	94(100.00) (31.34)	82(87.23) (30.92)	12(12.76) (35.20)	94(100.00) (31.34)
2	पिछड़ी जाति	64(68.08) (30.48)	30(31.19) (33.3)	94(100.00) (31.33)	83(88.29) (31.20)	11(11.70) (32.35)	94(100.00) (31.33)
3	स्वर्ण जाति	70(74.46) (33.33)	24(25.53) (26.66)	94(100.00) (31.33)	89(94.60) (33.45)	5(5.31) (14.15)	94(100.00) (31.33)
4	मुस्लिम जाति	10(55.55) (4.46)	8(44.44) (8.88)	18(100.00) (6.00)	12(86.66) (4.51)	6(33.33) (17.64)	18(100.00) (6.00)
5	कुल योग (प्रतिशत)	210(70.00) (100.00)	90(30.00) (100.00)	300(100.00) (100.00)	266(88.86) (100.00)	34(11.33) (100.00)	300(100.00) (100.00)

प्रसंगाधीन उपर्युक्त सारणी के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण तथा विवेचन से विदित होता है कि कुल 300 बेरोजगार लाभान्वितों में से 210 (70.00 प्रतिशत) को चयन प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान था तथा शेष 90 (30.00 प्रतिशत) को चयन प्रक्रिया के प्रति अनभिज्ञ थे। पूर्ण ज्ञान वालों में जातिगत स्थिति के अनुसार 66 (31.43 प्रतिशत) अनुसूचित जातियों के 64 (30.48 प्रतिशत) पिछड़ी जातियों के 70 (33.33 प्रतिशत) सामान्य जातियों तथा 10 (4.76 प्रतिशत) मुस्लिम वर्ग से थे और इसके विपरीत अनभिज्ञों जिन्हें पूर्ण जानकारी नहीं थी, में से 28 (31.11 प्रतिशत) अनुसूचित जातियों के 30 (33. 33 प्रतिशत) पिछड़ी जातियों के 24 (26.66 प्रतिशत) सामान्य जातियों तथा 8 (44.44 प्रतिशत) मुस्लिम वर्ग के पाये गये।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नियम तथा शर्तों का आंशिक ज्ञान के सम्बन्ध में कुल 300 आवेदकों में से 266 (88.66 प्रतिशत) आवेदकों को आंशिक जानकारी थी जबकि 34 (11.38 प्रतिशत) आवेदकों को बिल्कुल जानकारी नहीं थी। नियम व शर्तों की आंशिक जानकारी रखने वाले 266 आवेदकों में से 82 (30.82 प्रतिशत) अनुसूचित जाति, 83 (31.20 प्रतिशत) पिछड़ी जाति, 89 (33.45 प्रतिशत), सामान्य जाति तथा 12 (4.51 प्रतिशत) मुस्लिम वर्ग के थे तथा नियम व शर्तों की आंशिक जानकारी थी, नहीं वाले आवेदकों में 12 (12.76 प्रतिशत) अनुसूचित जाति, 11 (11.70 प्रतिशत) पिछड़ी जाति 5 (14. 45 प्रतिशत) सामान्य जाति तथा 6 (17.64 प्रतिशत) मुस्लिम पाये गये हैं। जहाँ पर यह स्पष्ट है कि अधिकांशतः आवेदकों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नियम व शर्तों का 88.68 प्रतिशत प्रतिशत आवेदकों को आंशिक ज्ञान था। अतः 1600 आवेदकों के आवेदन पत्र अपूर्ण पाये गये जिन्हें विकास खण्ड स्तरों पर ही निरस्त कर दिया गया तथा जिला उद्योग केन्द्र को 344 आवेदन पत्र ही अग्रसारित किये गये।

सारांश –

अनुसंधित्सु ने यह भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है कि कुल 300 आवेदकों में से सुविधा शुल्क सहित एवं सुविधा शुल्क रहित कितने कितने प्रतिशत आवेदक थे। अन्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि अध्ययन के अन्तराल में सर्वेक्षण के समय उत्तरदाताओं से यह भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया अथवा नहीं। शास्त्रीय संदर्भ व शब्दावली में रिश्वत को ऋण पारित कराने में सुविधा शुल्क देना शब्द प्रयुक्त किया गया है। अध्ययन से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना से ग्रामीण व गहरी शिक्षित बेरोजगार युवाओं का जीवन ऊपर उठाने में मदद मिल रही है। आज जरूरत इस बात की है कि योजना को भ्रष्टाचार से दूर रखने के लिये प्रभावी नियंत्रक व पारदर्शी व्यवस्था लागू तथा जन जागरूकता एवं सूचना के अधिकार का सफल क्रियान्वयन कर प्रधानमंत्री रोजगार योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है।

संदर्भ (**Reference**)

1. Circular of the Central Development Commission, Nirman Bhawan, New Delhi 1961, 11.
2. Gupta GK. Role of P.M.R.Y. in the Economic Development of Mainpuri District of U.P. (U.G.C. Project Report 2005, 207)
3. Dixit Aditya; Role of self Employment Scheme in the Eradication of Educated Un. Employment: a case study of Agra Region, Published Ph. D Thesis, Researcher Pub., Jaipur 2006, 240.
4. साख्यिकीय पत्रिका, जिला मथुरा 2009
5. सामाजिक समीक्षा जिला मथुरा 2009
6. Singh SK. Jan the National Rural Employment Guarantee Yojna, Kurukshetra: A. Journal of Rural Development 2010;56(3):18-22.
7. Mishra RP. Regional Planning Concept Publishing Company. New Delhi 2002.